

मतदान के समय मतदाताओं का व्यवहार : एक राजनैतिक विवेचन

डॉ. एस. पी. शुक्ला

शोध-निर्देशक, प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान

आशुतोष पाण्डेय

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान

शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा(म.प्र.)

शोध-सारांश-

लोकतंत्र मनुष्यों की समानता को स्वयं सिद्ध मान लेता है और राजनीतिक समानता तभी आ सकती है, जब सभी नागरिकों को मताधिकार दे दिया जाय शासन के कानूनों तथा नीतियों का संबंध सभी लोगों से होता है और जिसका प्रभाव सब पर पड़ता है। उसका निर्णय भी सबके द्वारा ही होना चाहिए। प्रस्तुत शोध पत्र में इन्हीं बिन्दुओं का उल्लेख करने का मुख्य प्रयास है।

मुख्य शब्द :-मतदान, समय, मतदाताओं, व्यवहार, राजनैतिक, अध्ययन आदि।

प्रस्तावना :-

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन वयस्क मताधिकार के आधार पर करती है। विश्व महाशक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो विश्व में सबसे प्राचीन व लिखित सन् 1789 में लागू किया गया था लेकिन वहाँ संविधान के 19वें संशोधन 1919 के द्वारा स्त्रियों को वयस्क मताधिकार दिया गया, वहीं ब्रिटेन में सन् 1928 व प्रथम विश्व युद्ध में पराजित जर्मनी ने 1919 में सर्वभौमिक मताधिकार के प्रावधान को अपने संविधान (विमर) में शामिल किया गया साथ ही आदर्श लोकतंत्र के रूप में माने जाने वाले देश स्वीट्जरलैण्ड में महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष मताधिकार सबसे बाद में सन् 1973 में प्राप्त हुआ।

भारत में मूल संविधान (1950) में ही महिलाओं व पुरुषों को समान मानते हुए वयस्क मताधिकार दिया गया। भारत के मतदाता अपने इस अधिकार के प्रति उदासीन है बेहद विडंबना का विषय है कि संविधान द्वारा दी गई अमूल्य और अचूक शक्ति का एहसास आज भी बड़ी संख्या में देशवासी नहीं कर पाये हैं। वैसे यह सही है कि लोकतंत्र में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे और यदि वे किसी भी उम्मीदवार को मत नहीं देना चाहते हैं तो नोटा का बटन दबा सकते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हर मतदाता का जागरूक होना जरूरी है।

परन्तु हमारे देश में ऐसे अनेक लोग हैं जो मतदान के दिन को अवकाश समझ मतदान के अतिरिक्त अन्य कार्यकलाप में का वयस्त रहना पसंद करते हैं मतदान केन्द्र तक पहुंचने की मन इच्छा नहीं रखते।

मतदाता निष्पक्ष रूप से मतदान करने के बजाय जाति-धर्म, क्षेत्र, रुपया, साड़ी, कम्बल आदि के प्रभाव से प्रभावित होकर अपने वोट का उपयोग करते हैं तथा मतदाता का मतदान व्यवहार परिवर्तित कराते हैं। मतदान व्यवहार का अर्थ है कि व्यक्ति का मतदान आचरण कब, क्यों और कैसे तथा किन-किन तथ्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। मतदाता वोट (मत) देते समय किस तथ्य से सर्वाधिक प्रभावित होता है। वह कौन सी बातें या मुद्दे हैं जो आम मतदाता को अपना मत ईधर या उधर देने

के लिए प्रेरित करते हैं। अतः मतदान व्यवहार से आशय किसी निर्वाचन में किन-किन बातों से प्रभावित होकर आम मतदाता किसी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में मतदान करता है।

मतदान व्यवहार का अध्ययन 20वीं सदी की ही एक प्रक्रिया है सर्वप्रथम फ्रांस में 1913 में मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया इसके बाद अमेरिका में दो विश्व युद्धों के बीच के काल में ब्रिटेन में द्वितीय महायुद्धों के बाद और भारत में द्वितीय आम चुनाव के बाद इस प्रकार को अध्ययन किया गया।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय –

शोध अध्ययन का क्षेत्र मऊगंज मध्य प्रदेश का एक जिला है/एक शहर है। भारत में, रीवा जिले का एक उप-विभाजन है जो जिले के भीतर एक विशेष क्षेत्र के प्रशासन और राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार है। यह स्थानीय शासन संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अपने स्थानीय समुदाय के विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जनगणना 2011 की जानकारी के अनुसार मऊगंज ब्लॉक (सीडी) का उप-जिला कोड 03477 है। मऊगंज जिला का कुल क्षेत्रफल 382 किमी. है जिसमें 344.63 किमी. ग्रामीण क्षेत्र और 36.91 किमी. शहरी क्षेत्र शामिल है। मऊगंज जिला की जनसंख्या 1,89,711 है, जिसमें से शहरी जनसंख्या 26,420 है जबकि ग्रामीण जनसंख्या 1,63,291 है। मऊगंज जिला का जनसंख्या घनत्व 497.2 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है। उप-जिले में लगभग 41,808 घर हैं जिनमें 4,880 शहरी घर और 36,928 ग्रामीण घर शामिल हैं।

साक्षरता की बात करें तो मऊगंज जिला की 57.63 प्रतिशत आबादी साक्षर है जिसमें 66.53 प्रतिशत पुरुष और 48.25 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। मऊगंज जिला में लगभग 307 गाँव हैं।

मऊगंज जिला की जनसंख्या

क्र.	विवरण	ग्रामीण	शहरी	कुल
1.	कुल जनसंख्या	1,63,291	26,420	1,89,711
2.	पुरुषों की जनसंख्या	83,773	13,589	97,362
3.	महिलाओं की जनसंख्या	79,518	12,831	92,349
4.	जनसंख्या का घनत्व	474 / km ²	716 / km ²	497 / km ²

स्रोत :- <https://villageinfo.in/madh-pradesh/rewa/mauganj.html>

मऊगंज जिला में कुल परिवारों की संख्या

क्र.	विवरण	ग्रामीण	शहरी	कुल
1.	परिवारों की संख्या	36,928	4,880	41,808

अध्ययन का उद्देश्य

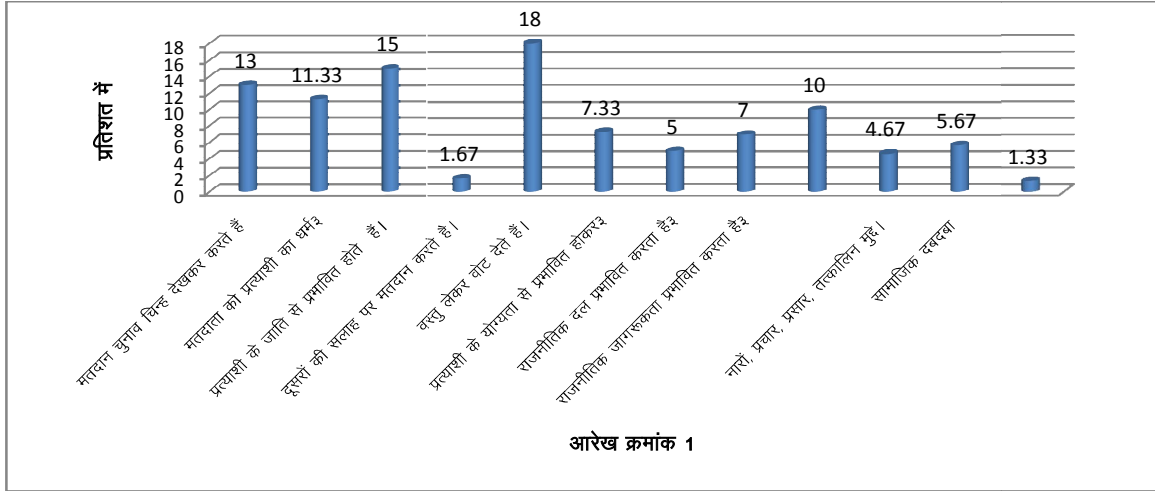
1. मतदाता की मतदान समय वैचारिक स्थिति जानना।
2. कौन-कौन से कारक मतदाता को अधिक प्रभावित करते हैं जानना।
3. अध्ययन क्षेत्र में प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किये जाने वाले को जानना।

अध्ययन पद्धति –

समग्र पद्धति से अध्ययन करने के बजाय निर्देशन के माध्यम से चुने हुए मतदाताओं से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण कर प्राप्त परिणामों को सामान्यीकरण का प्रयास किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों से ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं एवम् मतदाता सूची आदि का विश्लेषण भी किया जायेगा। इस प्रकार कुल 300 मतदाताओं (स्त्री/पुरुष) का चयन किया गया। उत्तरदाताओं का चयन “दैव निदर्शन पद्धति” से किया गया। इसके पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों से चुने गये मतदाताओं द्वारा क्रमबद्ध एवं सुनियोजित तरीके से जानकारी प्राप्त की गई। यह संख्या यद्यपि समान नहीं रही, किन्तु विभिन्न वर्ग एवं जाति के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व प्राप्त रहा।

तालिका क्रमांक 01. मतदाताओं को प्रभावित करने वाले कारक

क्रमांक	मतदाताओं को प्रभावित करने वाले कारक	संख्या	प्रतिशत
1.	मतदान चुनाव चिन्ह देखकर करते हैं	39	13.00
2.	मतदाता को प्रत्याशी का धर्म प्रभावित करता है।	34	11.33
3.	प्रत्याशी के जाति से प्रभावित होते हैं।	45	15.00
4.	दूसरों की सलाह पर मतदान करते हैं।	5	1.67
5.	वस्तु लेकर वोट देते हैं।	54	18.00
6.	प्रत्याशी के योग्यता से प्रभावित होकर वोट देते हैं।	22	7.33
7.	राजनीतिक दल प्रभावित करता है मतदाता को	15	5.00
8.	राजनीतिक जागरूकता प्रभावित करता है प्रत्याशी की।	21	7.00
9.	प्रत्याशी का आर्थिक स्थिति प्रभावित करता है।	30	10.00
10.	नारों, प्रचार, प्रसार, तत्कालिन मुद्दे।	14	4.67
11.	सामाजिक दबदबा	17	5.67
12.	प्रत्याशी के राजनीतिक अनुभव, उम्र लिंग से प्रभावित होते हैं।	4	1.33
	योग	300	100.00



उपरोक्ता तालिका एवं आरेख से स्पष्ट होता है कि 13 प्रतिशत मतदाता मतदाधिकार का प्रयोग चुनाव चिन्ह देखकर करते हैं इस वर्ग में वे मतदाता शामिल होते हैं, जिनका शिक्षा स्तर कम है। प्रत्याशी के धर्म से प्रभावित होकर 11.16 प्रतिशत मतदाता मतदान करते हैं। 15 प्रतिशत मतदाता प्रत्याशी के जाति को देखकर वोट देते हैं। 1.67 प्रतिशत मतदाता दूसरों के सलाह से प्रत्याशी चयन करते हैं इसमें अधिकांश अशिक्षित महिला मतदाता होते हैं जो घर के पुरुष वर्ग के कहने पर उस प्रत्याशी को वोट देते हैं। अध्ययन क्षेत्र में सबसे अधिक 18.00 प्रतिशत मतदाता वस्तु लेकर मतदाधिकार का प्रयोग करते हैं। प्रत्याशी के योग्यता से प्रभावित होकर 7.33 प्रतिशत मतदाता मतदान करते हैं। राजनीतिक दल 5 प्रतिशत मतदाता को प्रभावित करता है। 7.00 प्रतिशत मतदाता को प्रत्याशी की राजनीति जागरूकता प्रभावित करता है। 10 प्रतिशत मतदाता प्रत्याशी के आर्थिक स्थिति से प्रभावित होकर उनके पक्ष में मतदान करते हैं। चुनाव के समय नारों, प्रचार प्रसार व तात्कालिन मुद्दे 4.67 प्रतिशत मतदाताओं को प्रभावित करता है। 5.67 प्रतिशत मतदाता को प्रत्याशी के सामाजिक दबदबा प्रभावित करता है। 1.33 प्रतिशत मतदाता को प्रत्याशी के राजनीतिक अनुभव, उम्र, लिंग प्रभावित करता है।

इस प्रकार स्पष्ट है अध्ययन क्षेत्र की सबसे अधिक मतदाता अपने अमूल्य वोट प्रलोभन में आकर कर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी व शिक्षा है।

निष्कर्ष –

2013 में मऊरांज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 71 एकाधिक कारणों से यादगार मतदान की दिशा में मतदाता की जागरूकता तथा शासन की मुस्तैदी से मतदान हुआ वर्ष 2013 में 59.19 प्रतिशत विधान सभा चुनाव में मतदान प्रतिशत रहा।

उक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि मतदाता व्यवहार कतिपय बाह्य कारकों से प्रभावित होता है। अध्ययन के दौरान ज्ञात हुआ कि प्रत्याशी मतदाताओं को को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। प्रचार दौरान अपने चुनाव चिन्ह मतदाताओं को वितरण करते हैं, जैसे फावड़ा चुनाव चिन्ह है तो प्रत्येक घर में फावड़ा, गिलास है तो प्रत्येक मतदाता को गिलास वितरण करते हैं।

मतदाता यह समझने लगा है कि प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् उसके घर दूरस्थ प्रदेश में आने वाला प्रत्याशी अवश्य ही पद का लोभी है। जिसमें मान आकर्षण है, गौरव है, मुनाफा है, अतः वह अब अपने मत की कीमत आंकने तथा मांगने लगा है। लेकिन मतदान व्यवहार के लिए कोई एक कारक को पूर्ण रूपेण उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। क्योंकि इसमें से अनेक कारक सामुहिक रूप से ही मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं क्योंकि ये विभिन्न कारक एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े हुए

हैं अतः मतदान व्यवहार का विश्लेषण करना एक कठिन कार्य है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि मतदाता अपने वोट की कीमत समझे, उसका मूल्य न आंके सही, योग्य प्रतिनिधियों का चयन करे व देश के विकास में अपना योगदान दें।

लोकतंत्र की सफलता और उसका भविष्य निर्वाचन व्यवस्था की निष्पक्षता पर निर्भर करता है। निर्वाचन के माध्यम से देश के सभी व्यस्क मतदाता अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। एक वोट सरकार बदलने के लिए काफी होता है। लेकिन मतदाता अपने इस अमूल्य वोट के प्रति उदासिन रहते हैं, चुनाव आयोग के अध्ययन अनुसार 55 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में औसत वोटिंग होती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में औसत वोटिंग 70 प्रतिशत है। शहरों में लोग कतार में लगने से परहेज करते हैं। लाईन में लगने से उनका इगो हर्ट होता है वहीं गांवों में पोलिंग बूथ पर जाने का एक फैशन है। परंतु ये मतदाता का मतदान व्यवहार बहुत परिवर्तित होता रहता है।

मतदान व्यवहार का अर्थ है व्यक्ति का मतदान आचरण कब, क्यों और कैसे तथा किन-किन तथ्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। वह कौन सी बातें या मुद्दे हैं जो आम मतदाता का अपना मत झुका दे या उधर देने के लिए प्रेरित करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र (मऊगंज विधानसभा क्षेत्र-70) के 300 मतदाताओं पर मतदान व्यवहार के अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि जिले के अधिकांश मतदाता 18 प्रतिशत वस्तु लेकर अपने मताधिकार को प्रयोग करते हैं। 15 प्रतिशत को जाति 11.67 प्रतिशत मतदाता को प्रत्याशी का धर्म प्रभावित करता है, 13 प्रतिशत चुनाव चिन्ह देखकर 1.67 प्रतिशत दूसरों की सलाह पर मतदान करते हैं। 7.00 प्रतिशत को प्रत्याशी के योग्यता, 5 प्रतिशत को राजनीतिक दल प्रभावित करता है, 7.34 प्रतिशत को प्रत्याशी के राजनीतिक जागरूकता व 15 प्रतिशत को प्रत्याशी का राजनीतिक अनुभव उम्र, लिंग प्रभावित करता है।

अधिकांश प्रत्याशी मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराते हैं। वाहन उपलब्ध न कराने पर मतदान करने जाते ही नहीं हैं। जिस प्रत्याशी के वाहन में वे बैठकर जाते हैं बिना सोचे समझे उस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर जाते हैं।

आज आम जनता की नैतिक जिम्मेदारी है कि यह सोच समझकर योग्य ईमानदार व कुशल प्रत्याशी को मत दे अपने स्वविवेक से मतदान करें, अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर योग्य प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। यही एक सच्चे मतदाता का अपने राष्ट्र के प्रति पुनीत कर्तव्य है।

संदर्भ – ग्रंथ

- डी.ई. स्टोक्स- इंटरनेशनल एन्साक्लोपीडिया ऑफ सांसेस भाग -16 न्यूयर्क की प्रेस एण्ड मैकेमिलन 1968
- गांधी जी राय तुलनात्मक शासन एवं राजनीतिक, भारती भवन ठाकुर बाड़ी रोड़ पटना।
- डॉ. पुखराज जैन, डॉ. बी. एल. फड़िया भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन- पब्लिकेशन आगरा।
- भददत्त शर्मा – आधुनिक शासन तंत्र सिद्धांत एवं व्यवहार
- आर. बी. जैन – तुलनात्मक राजनीति, साहित्य भवन आगरा
- प्रतियोगिता दर्पण
- लोकतंत्र समीक्षा दिसम्बर 2002
- दैनिक भास्कर दैनिक रीवा
- नवभारत, दैनिक समाचार पत्र जबलपुर
- दैनिक पत्रिका, रीवा-सतना